"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 362] रायपुर, शनिवार, दिनांक 5 जुलाई 2014—— आषाढ़ 14, शक 1936

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 जुलाई 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/66/2014 /वाक/ पांच (68).—— छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा- 4 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार एतद्द्वारा, अधिसूचना क्रमांक एफ-10/64/2014/ वाक/पांच (66), दिनांक 01.07.2014 में निम्नानुसार संशोधन करती है :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में :-

(एक) पैरा (1) के खंड (ब) के स्थान पर निम्नानुसार खंड प्रतिस्थापित किया जाए;

"(ख) उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में वर्णित माल, जिसे माल के निर्माण के लिए क्रय अथवा क्रय से भिन्न अन्य रीति से अर्जित किया गया है, को; और"

(दो) अनुसूची में, अनुक्रमांक- 1 के सामने कॉलम (3) और (4) में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नानुसार प्रविष्टियां प्रतिस्थापित किया जाए;

अनुसूची

अनु. (1)	स्थानीय क्षेत्र (2)	माल (3)	कर की दर (4)
1	छत्तीसगढ़ राज्य में समस्त स्थानीय क्षेत्र	लाईम स्टोन :- (एक) जब क्लिंकर के निर्माण में उपयोग किया जाए और ऐसा क्लिंकर राज्य के बाहर स्टॉक ट्रांसफर के रूप में बाहर भेजा जाए,	साठ रुपये प्रति मीट्रिक टन

(1)	(2)	(3)	(4)
		(दो) ऊपर प्रविष्टि क्रमांक-(एक) में विनिर्दिष्ट से भिन्न परिस्थिति में	पच्चीस रुपये प्रति मीट्रिक टन

2. यह संशोधन 01-07-2014 से प्रभावशील होना माना जाएगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 5 जुलाई 2014

क्रमांक एफ -10-66/2014/वाक/पांच (68).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ - 10-66/2014/वाक/पांच (68), दिनांक 05-07-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Raipur, the 5th July 2014

NOTIFICATION

No. F-10/66/2014/CT/V (68).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section-4 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976) the State Government hereby makes the following amendments in notification No. F-10/64/2014/CT/V (66) dated 01-07-2014 :-

AMENDMENT

In the said nofication :-

(i) For clause (b) of paragraph (1) the, following clause shall be substitued,

"(b) the goods mentioned in column (3) of the schedule which are purchased or acquired other than by way of purchases for manufacture of goods, and"

(ii) for existing schedule the following schedule shall be substituted :-

SCHEDULE

S. No. (1)	Local Goods (2)	Goods (3)	Rate of tax (4)
1	All local areas in the state of Chhattisgarh	Lime Stone :- (i) when used in manufacture of clinker and such clinker is sent outside the state by way of stock transfer.	Rs. sixty, per MT

(1)	(2)	(3)	(4)
		(ii) in circumstances other than those specified in entry No. (i) above	Rs. Twenty five, per MT

2. This amendment shall be deemed to have come into force w.e.f. 01-07-2014.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.